[27/3/2023]

Vid R 3657

(7)

प्रश्न सं. [क्र. 3657]

ए.आई.आर. 1966 म.प्र. 92 (95, 96) खंडपीठ में यह निर्णय लिया गया है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के अधीन जो ग्राम के पटेल नियुक्त किए जाते हैं वे कोई पुलिस कृत्य संपादित नहीं करते तथा अपराध की सूचना के संबंध में कोई कार्य करते हैं तो वे द.प्र.सं. की धारा 40(2) के अधीन आम व्यक्ति जैसा कार्य निर्वाह करते हैं।

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 222 में पटेल नियुक्ति का प्रावधान अधिनियमित किया गया है तथा इसी धारा के अधीन पटेली नियम राज्य शासन ने बनाए हैं जिसके अनुसार नियम 18 के अधीन उपरोक्त संहिता 220 में उल्लिखित कर्तव्यों के अतिरिक्त पटेल का यह भी कर्तव्य होगा जिसके अधीन नियम 18 (29) से (36) तक उसके ग्राम में या उसके पड़ोस मे चोरी की सम्पत्ति के किसी बदनाम प्राप्तिकर्ता या विक्रेता के स्थायी या अस्थायी निवास तथा जमानत अयोग्य किसी भी अपराध के अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 144, 145, 147 या 148 के अधीन दंडनीय किसी कार्य का या करने के अभिप्राय का प्रतिवेदन देने का कर्तव्य सम्मिलित किया गया है।

परिशिष्ट-1

धारा 51. विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश तथा निरीक्षण करने की शक्ति -- आबकारी आयुक्त या कलेक्टर या कोई भी आबकारी आफिसर, जो कि ऐसे पद से निम्न पद का ना हो, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विहित करे, या उस संबंध में सम्यक् रूपेण सशक्त किया गया कोई भी पुलिस आफिसर :-

(क) दिन में या रात में किसी भी समय, किसी भी ऐसे स्थान में जिसमें कि कोई भी अनुज्ञप्त विनिर्माता किसी भी मादक द्रव्य का निर्माण या उसे भण्डारित करता हो, प्रवेश कर सकेगा तथा निरीक्षण कर सकेगा, और

(ख) उन घण्टों में जिनके दौरान विक्रय की अनुज्ञा हो, किसी भी समय और किसी भी ऐसे अन्य समय, जिसके कि दौरान वह खुला रहता हो, किसी ऐसे स्थान में, जहां कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी मादक द्रव्य विक्रय के लिए रखा जाता हो, प्रवेश कर सकेगा तथा निरीक्षण कर सकेगा, और

(ग) लेखाओं तथा रजिस्टरों की परीक्षा कर सकेगा और ऐसे स्थान में पाई जाने वाली किन्हीं सामग्रियों, भभकों, पात्रों, उपकरणों, साधित्र या मादक द्रव्य की परीक्षा, जांच, माप या तौल कर सकेगा।

टिप्पणी

अधिसूचना क्रमांक बी 16-38-82-पांच-पृ.आ.-- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 51 के अन्तर्गत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 54-ए, दिनांक 31 जुलाई, 1959 के द्वारा डिप्टी कलेक्टर्स एवं तहसीलदारों को देशी शराब दुकानों के निरीक्षण की शक्ति प्रदान की है। राज्य शासन के निर्णयानुसार मदिरा दुकानों के निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग के नायब तहसीलदारों को भी उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित दुकानों के लिए अब यह शक्ति प्रदान की जाती है (म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 22-6-82 को पृष्ठ 1135 में प्रकाशित)।

इस धारा में यह प्रावधान अधिनियमित किया गया है कि आबकारी आयुक्त, कलेक्टर या कोई भी आबकारी आफिसर जो कि ऐसे पद से निम्न न हो जैसा राज्य शासन अधिसूचना द्वारा विहित करे या इस संबंध में सम्यक्रूपेण सशक्त किया गया पुलिस आफिसर को मादक द्रव्य विनिर्माण और विक्रय के स्थानों में प्रवेश करने की शक्ति तथा निरीक्षण करने की शक्ति रखता है।

इस धारा के प्रावधान अफीम अधिनियम की धारा 14 के समरूपी है।

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश सचिवालय,
वाणिज्यिक कर विभाग
(आबकारी/विक्रयकर शाखा)
भोपाल